उ0 प्र0 हार्टीकल्चर कोआपरेटिव उत्तर प्रदेश मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड की उपविधियाँ (एच.सी.एम.एफ.)

1. **नाम व पता** : यह समिति उत्तर प्रदेश हार्टी कल्चर कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लि0 लखनऊ कही जायेगी। इसका पंजीकृत पता पत्रालय–लखनऊ, तहसील–लखनऊ, जनपद–लखनऊ होगा। पते में किसी प्रकार का परिवर्तन उपविधि में संशोधन करके लिया जायेगा।

2. **परिभाषायें** : जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इन उपविधियों में :–

(क) अधिनियम का तात्पर्य उ0 प्र0 सहकारी समितियां अधिनियम 1965 (अधिनियम सं0 11 तक 1966) होगा, जैसा कि उ0 प्र0 राज्य में प्रभावी था, और समय–समय पर संशोधित हुआ।

(ख) ''प्रबन्ध कमेटी'' का तात्पर्य फेडरेशन को प्रबन्ध समिति जो कि इन उपविधियों के प्राविधानों के अनुसार गठित हुई, और निदेशक का तात्पर्य परिषद का सदस्य होगा।

(ग) सामग्री का तात्पर्य कच्चा या प्रसंस्कृत औद्यानिक उत्पाद, पैक करने के पदार्थ, व अन्य भण्डार एवं उपकरण जिसकी आवश्यकता औद्यानिक उत्पाद उत्पादन तथा विपणन में पड़ती है।

(घ) अध्यक्ष का तात्पर्य समिति का वह सदस्य, जिसे अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अनुसार फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना अथवा नामित किया गया हो। वह फेडरेशन के विकास एवं प्रगति के लिये उत्तरदायी होगा और तब यह सुनिश्चित करना है,कि समिति द्वारा लिये निर्णयों का प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अधिशासी द्वारा क्रियान्वयन समुचित रूप से किया जा रहा है।

(ङ) फेडरेशन का तात्पर्य प्रादेशिक कोआपरेटिव औद्यानिक मार्केटिंग फेडरेशन होगा।

(च) सामान्य बैठक का तात्पर्य सामान्य निकाय की बैठक होगा जिसमें साधारण और विशेष सामान्य बैठक निहित है।

(छ) **''औद्यानिक उत्पाद''** का तात्पर्य, औद्यानिक फसलों यथा फल, फूल, शाक भाजी, आलू, मसाला, इनके बीज तथा रोपण सामग्री, शहद एवं सम्बन्धित उत्पाद औषधीय एवं सुगंधित पौधे एवं उत्पाद आदि तथा इनके खाद्य प्रसंस्कृत पदार्थ, एवं दैनिक उत्पाद एवं भविष्य में जारी संशोधित औद्यानिक उत्पाद है।

(ज) ''विशेषज्ञ समूह'' का तात्पर्य जैसा कि उपविधि सं0–35 में वर्णित है, होगा।

(झ) ''सदस्य संघ'' का तात्पर्य आधुनिक संघ जिसका फेडरेशन में अंश है, होगा।

(ञ) ''सदस्य'' का तात्पर्य 34 विधि संख्या–5 के अनुसार सदस्य से है।

(ट) ''प्रबन्ध निदेशक'' का तात्पर्य संघ के प्रबन्ध निदेशक से है जो अधिनियम की धारा–31 के अनुसार नियमानुसार किया गया है।

(ठ) ''औद्यानिक संघ'' का तात्पर्य उ0 प्र0 सहकारी समितियाँ अधिनियम–1985 के अधीन औद्यानिक सहकारी संघ के रूप में पंजीकृत''एक'' केन्द्रीय सहकारी संघ से है।

(ड) ''निकट सम्बन्ध'' का तात्पर्य, ऐसा सम्बन्ध जैसा कि नियमों में परिभाषित है।

(ढ) ''कार्यक्रम समिति'' का तात्पर्य उपविधि सं0–36 के अन्तर्गत गठित समिति से है।

(ण) निबन्धक का तात्पर्य अधिनियम की धारा–3 या अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों वाले आयुक्त या अन्य व्यवस्था के यदि कोई से है।

(त) ''विनियम'' का तात्पर्य अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत बनाये गये विनियम से है।

(थ) ''नियम'' का तात्पर्य अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों से है। औद्यानिक उत्पादों में कि0ग्रा0, कुन्तल, मी0 टन, इकाइयों, इकाई के रूप में अभिव्यक्त है।

(द) ''वर्ष'' का तात्पर्य सहकारिता वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक से होगा। चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम घोषित करने की तिथि से 12 माह है।

(न) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है। समस्त शब्द एवं अभिव्यक्तियों जिनका इन उपविधियों में प्रयोग किया गया है, और उसमें परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु सहकारी समितियां अधिनियम–1965 में परिभाषित किया गया है, और

उसके अन्तर्गत नियम बनाये गये है, उनका वही तात्पर्य होगा जो कि उस अधिनियम और नियमों में है।

3. इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा।

4. **फेडरेशन के मूलभूत उद्देश्य :–**

(क) **मुख्य उद्देश्य** : ''औद्यानिक उत्पाद'' और उसके प्रसंस्कृत उत्पादों का विपणन कुशलता पूर्वक, प्रबन्ध करके औद्यानिक कृषकों का आर्थिक विकास करने हेतु क्रिया कलाप संचालित करना।

(2) औद्यानिक उत्पादों तथा उसके प्रसंस्कृत उत्पादों के उत्पादन के उपलब्धि एवं उपार्जन के उत्थान हेतु कार्यक्रम चलाया और औद्यानिक कृषकों का सम्बन्ध औद्यानिक संघों के माध्यम से आर्थिक विकास करना।

(ख) **<u>गौड़ उद्देश्य</u> : विशेषत और बिना पूर्वागृह के सामान्यतया दूरगामी उद्देश्यः**

(1) सामग्री या अन्य उत्पादों का सदस्यों से या अन्य श्रोतों से उपार्जन और क्रय करना, एकत्र करना, निर्मित करना, वितरित करना और उसे बेचना और इसके लिये औद्यानिक संघों के लिये संसाधन स्थापित करना।

(2) पौधरक्षा सम्बन्धी सहायता तथा अन्य सम्बन्धित क्रिया कलाप सुलभ कराना, ताकि फल स्वास्थ की देख–रेख और केन्द्रीय निवेश से सम्बन्धित रोग नियन्त्रण सुविधाओं से सुधार हो सके।

(3) सामग्री के प्रबन्ध, अनुसंधान संस्थापना एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का विभिन्न स्तरों पर गुणवत्ता नियंत्रण गठित करना।

(4) अनुसंधान एवं विकास हेतु प्रोत्साहन एवं कार्यक्रम संचालित करना।

(5) प्रोत्साहन के माध्यम से प्रारम्भिक सहकारी समितियां के गठन की प्रोन्नति के नियम अग्रसर रहना तथा उनके बीच सम्मान तथा सहयोग के सिद्धान्त एवं व्यवहार का प्रचार करना तथा विशेष तौर से इस व्यवसाय के विषय में तकनीकी ज्ञान कराना।

(6) सदस्य संघों को तकनीकी, प्रशासनिक, वित्तीय एवं अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करना और यदि आवश्यक हो तो संयुक्त करार में प्रविष्ट करना।

(7) जब कहीं और जहाँ कहीं आवश्यक हो, सदस्य संघों को नये क्षेत्रों का सर्वेक्षण और औद्यानिक उत्पादन की सम्भावना का पता लगाने में सहायता करना।

(8) सदस्य संघों को निर्माणशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के स्थल चयन करने में सहयोग करना।

(9) प्रबन्ध के समस्त क्षेत्रों में व्यवसाय के संचालन पर्यवेक्षण एवं सम्प्रेक्षण कार्यो में सदस्य संघों को सलाह, पथ प्रदर्शन, सहायता प्रदान करना एवं नियंत्रण करना।

(10) समितियों के संग्रह, उठान यातायात की व्यवस्था करना।

(11) ऐसी शर्तो जैसी की परिषद द्वारा समय–समय पर निर्धारित करें, औद्यानिक/एवं अन्य उत्पादों के विपणन हेतु गैर सदस्यों से लेन–देन करना।

(12) फेडरेशन द्वारा निर्धारित मानकों इत्यादि पर गुणवत्ता स्तर का निर्धारण करना एवं उसे लागू करना।

(13) संघ के तथा सदस्य संगठनों के व्यवसाय हेतु भवन क्रय करना या संयत्र मशीने और अन्य सहकारी उपकरण खरीदना।

(14) औद्यानिक और उनके सहकारी उत्पादों के उत्पादन, संरक्षण एवं विपणन से सम्बन्धित समस्याओं के पारस्परिक संबन्धों का अध्ययन करना।

(15) अन्य संगठनों के साथ शोध करना।

(16) सदस्य संघों एवं सम्बद्ध समितियों के उत्पादक सदस्यों की उत्पादकता बढ़ाने के उपाय सुझाना।

(17) विपणन अनुसंधान संचालित करना।

(18) फेडरेशन तथा सदस्य संघों के सब प्रकार से लाभ के दृष्टिकोण से उत्पादन कार्यक्रम की योजना बनाना।

(19) फेडरेशन तथा सदस्य संघों के उत्पादन संरचना की योजना तथा संरक्षण की मात्रा बढ़ाने का कार्यक्रम और प्रभावी विपणन की व्यवस्था करना।

(20) औद्यानिक एवं एलाइड उत्पादों के यातायात तथा भण्डारण की व्यवस्था करना।
(21) सदस्य संगठनों से सम्बद्ध समितियों के उत्पादक सदस्यों द्वारा अच्छी गुणवत्ता के पौध इत्यादि क्रय में सहायता करना।
(22) फैडरेशन की चल एवं अचल सम्पत्ति का हर प्रकार के खतरे से बचाव करना।
(23) सामग्री को खरीदने, पैकिंग का सामान खरीदने आदि में सहायता करना और किसी के सहयोग से सामग्री का उत्पादन, यदि आवश्यक हो।
(24) समस्त सदस्य संघों और समितियां के स्टाफ को प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध करना।
(25) अपने व्यापारिक चिन्ह के अधीन अथवा संयुक्त एकल ब्राण्ड नाम व्यापारिक नाम से उत्पादों को बाजार में लाना।
(26) औद्यानिक और सहकारी (सोसाइटी) उत्पादों को निर्यात करना।
(क) लक्ष्य निर्धारण, मूल्य नीति, सार्वजनिक सम्बन्ध और सहकारी पदार्थो में सदस्य संघों को सलाह देना।
(ख) परामर्श दात्री इकाई का कार्य करना।
(ग) अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये ट्रस्ट एवं फण्ड स्थापित करना।
(घ) अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना करना जो अपने फण्ड में अंशदान हेतु जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो और सदस्य संगठनों से ऐसे फण्ड लेने हेतु स्वतंत्र हो।
(च) औद्यानिक संघों के प्रशासक के रूप में कार्य करना और यदि जैसा निबन्धक द्वारा नियुक्त किया गया हो, अथवा किसी औद्यानिक संघों के प्रबन्ध को उसमें, अनुरोध पर हस्तगत करना।
(छ) फैडरेशन के व्यवस्था हेतु चल अथवा अचल सम्पत्ति का स्वामित्व लेना, रखना पट्टे, पर या किराये पर लेना तथा यदि व्यवसाय हेतु आवश्यक न हो तो उसका निस्तारण करना।
(ज) सदस्य संघों या उनके सदस्यों के द्वारा अन्य नये उत्पाद उगाने को प्रोत्साहन देना।
(झ) थ्रिप्ट की योजना तैयार करना और प्रोत्साहित करना।
(ट) थ्रिप्ट को प्रोत्साहन, स्वयं सहायता और सदस्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन करना।
(ठ) सदस्य संघों के सामान्य हितों के मामलों हो हस्तगत करना।
(ड) फेडरेशन के उद्देश्यों एवं क्रिया कलापों के प्रचार का कार्य करना।
(ढ़) औद्यानिक संघों और प्रारम्भिक औद्यानिक सहकारी समितियों के सन्दर्भ में धारा–123 के अन्तर्गत सहकारी संघीय प्राधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त होने पर उनके पर्यवेक्षण और उनके लिये पर्यवेक्षण शुल्क निर्धारित करना तथा संग्रह की ऐसी दर पर जैसा कि निबन्धक द्वारा अनुमोदित हो।
(ण) सम्बद्ध सदस्य संघों का समयबद्ध पर्यवेक्षण करना। किसी सदस्य संघ के संचालन की संस्तुति का अधिकार भी फेडरेशन का होगा।
(त) अधिनियम, नियम तथा विनियमों के पूर्वाग्रह के बिना सदस्य संघ में दूसरे स्थान के लिये एक पूल या अधिकारियों का एक समूह बनाए रखना।
(थ) सामान्य तौर पर वह सब करना जो फेडरेशन के किसी लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये उचित या उसकी ओर प्रवृत्त करने वाला हो।

5. **सदस्यता** : फैडरेशन की साधारण सदस्यता निम्नांकित हेतु होगी।
(क) 1. औद्यानिक संघ (जिला स्तर)।
2. राज्य सरकार
3. अन्य समितियों के सदस्य
4. नाम मात्र के सदस्य
(ख) फेडरेशन को यह अधिकार होगा कि साधारण सदस्यों को उनकी अंश पूँजी जो/अथवा ऋण का उन शर्तों पर जो परिषद समय–समय पर निर्धारित करें, से अंशदान करें।

6. **मात्र के सदस्य** : उपनियम–5 के वर्णित सामान्य सदस्यों के अतिरिक्त नाम मात्र के सदस्य होगें। नाम मात्र की सदस्यता किसी भी व्यक्ति के लिये जो, संविदा में सक्षम हो और फेडरेशन से व्यवसायिक सम्बन्ध रखता हो, या किसी प्रकार का संविदात्मक सम्बन्ध रखता हो, खुली होगी। नाम मात्र के सदस्य प्रवेश शुल्क के रूप में 100/– अदा करेगें जो कि वापस नहीं होगी। नाम मात्र के सदस्य को फेडरेशन के मामलों में मतदान का अधिकार नहीं होगा और न ही फेडरेशन के लाभ में अंश का दावा करने का अधिकार होगा। इन्हें प्रबन्ध कमेटी निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

7. फेडरेशन के किसी सदस्य को जो एक बार सम्बद्ध हो गया हो, को अपने को असमबद्ध होने का प्रयास नहीं कर सकता, सिवाय जैसा कि अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत अनुसाबित किया गया है, जब तक यह विलीन न हो जाय।

8. अधिनियम और नियमों के प्राविधानों के अधीन रहते हुए और सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त किसी सदस्य को निम्नांकित एक अथवा एक से अधिक कारणों से फेडरेशन की सदस्यता से हटाया अथवा बहिस्कृत किया जा सकता है, जिसका की प्रस्ताव निदेशक परिषद की बैठकों में उपस्थिति और मतदान करने वाले निदेशकों के दो तिहाई बहुमत से लाया गया हो।

(क) किसी सदस्य को फेडरेशन सदस्यता से हटाया जा सकता है, यदि –

(1) वह अधिनियम, नियमों और उपनियमों में प्राविधानित पात्रता शर्ते पूरा न कर पा रहा हो, अथवा किसी अपात्रता से ग्रस्त हो गया हो।

(2) उसे अधिनियम, नियमों और उपनियमों के प्राविधानों के विरूद्ध फेडरेशन की सदस्यता स्वीकृति की गई हो।

(3) उप–नियम सं0–17 (द्वितीय) की निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने में लगातार असफल रहा हो।

(ख) किसी सदस्य को फेडरेशन की सदस्यता से बहिष्कृत किया जा सकता है यदि –

(1) उसने फेडरेशन के उपनियमों के प्राविधानों को तोड़कर फेडरेशन के हितों को आघात पहुँचाया हो, संघ को जान बूझकर धोखा दिया, और फेडरेशन की ख्याति को हानि पहुँचती हो।

(2) इन उपनियमों के किन्हीं प्राविधानों के अनुसरण में उसके द्वारा की गई घोषणा में किसी ठोस सूचना का अभाव पाया जाय और ऐसा झूठ या दबाव की वजह से सदस्य को फेडरेशन से नाजायज लाभ हुआ हो अथवा फेडरेशन को आर्थिक हानि या अन्य कठिनाइयों में डाल दिया हो।

कोई सदस्य जो इस प्रकार हटाया या बहिष्कृत किया गया हो फेडरेशन का सदस्य उसी तिथि से नहीं रह जायेगा, जिस तिथि को ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ है।

9. (क) कोष की स्थापना निम्नांकित के द्वारा होगी –

(1) प्रवेश शुल्क
(2) शेयर निर्गत
(3) सदस्य द्वारा जमा
(4) ऋण एवं प्रति ऋण पत्र से
(5) अनुदान, सहायता और राहत
(6) भेंट व दान

(ख) (1) प्रवेश शुल्क 100/–की दर से सभी नये सदस्यों द्वारा देय होगी।

(2) प्रवेश शुल्क न तो वापस होगी और नहीं हस्तान्तरणीय होगी।

(ग) (1) संघ की अधिकृत अंश पूँजी ..... होगी जो कि ..... अंशों में विभक्त होगी और प्रत्येक शेयर का मूल्य ..... होगा।

(2) अंश की धनराशि आवंटन के अनुसार एक मुश्त देय होगी।

10. अंश के लिए आवेदन–पत्र लिखित होगा और निदेशक परिषद द्वारा निस्तारित किये जायेगें।

11. अंशदान किये गये अंश का प्रत्येक अंशों के लिये पृथक संघ से युक्त एवं अंश प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। सदस्य द्वारा धारित अंश प्रमाण–पत्र को क्षति पहुँचने पर या खो जाने की

दशा में निदेशक मंडल द्वारा बदले में लिखित अनुमोदन पर और क्षति पूर्ति बन्ध पत्र के विरूद्ध निर्धारित शुल्क अदा करने पर द्वितीय प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा।

12. नियम–69 में उल्लिखित शर्तों के अलावा सदस्य द्वारा लिया गया अंश अस्तान्तरणीय होगा।

13. प्रत्येक सदस्य कम से कम 1000 रू0 का अंश ग्रहण करेगा।

14. (क) सिवाय अधिनियम और नियमों के प्राविधानों के सदस्य द्वारा धारित शेयर को वापस या निवृत्त नहीं किया जा सकेगा।

(ख) राज्य सरकार द्वारा पारित अंशों को दोनों पार्टियों के बीच इकरार नामों की शर्तो के अनुसार निवृत्त कर सकेगा।

15. अधिनियम और नियमों के अनुसार वार्षिक बैठक में निर्धारित किये गये दायित्व के अधीन बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तो पर फेडरेशन जमा स्वीकार कर सकता है और ऋण ले सकता है।

16. फेडरेशन की सम्पत्ति एवं कोष का उपयोग उसके प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में किया जायेगा। कोष का कोई भाग जिसकी आवश्यकता न हो, अधिनियमों और नियमों के अनुसार नियोजित किया जायेगा।

उत्तरदायित्वः(1) सदस्य का दायित्व उसके द्वारा लिये गए शेयर के नाम मात्र मूल्य तक सीमित होगा।

(2) प्रत्येक सदस्य :

(क) फेडरेशन द्वारा निर्धारित उपार्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाएगा।

(ख) फेडरेशन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता एवं स्तर के अनुसार ही उपार्जन, निर्माण इत्यादि कार्य सम्पादित करेगा।

(ग) संघ के अधिकार क्षेत्र के बाहर विपणन का कार्य फेडरेशन के माध्यम से किया जायेगा।

(3) अपने समस्त क्रिया–कलापों से संघ निदेशकों के अनुसार कार्यक्रमों, योजना, अभिलेखों और सूचनाओं से बद्ध रहेगा जैसे कि :–

(क) उपार्जन

(ख) भिन्न–भिन्न ब्राण्ड/ट्रेडमार्क के अन्तर्गत पैकिंग, उत्पादन एवं विपणन

(ग) समितियों का गठन

(घ) तकनीकी निवेश कार्यक्रम

(ङ) प्रशासकीय एवं प्रबन्धकीय पहलू।

(च) कीमत, गुणवत्ता का स्तर, और।

(छ) कच्चे माल एवं पैकिंग पदार्थो को उपलब्ध करना।

(ज) लेखा।

सदस्यों के उपर्युक्त तथा इसी प्रकार के अन्य कर्तव्यों के प्रति असफल होने परिणामतः होने वाली हानि के लिये उन्हें उत्तरदायी ठहराया जायेगा, कि फेडरेशन की निदेशक परिषद द्वारा निर्धारित किया जाय।

निकाय (18) फेडरेशन का सर्वोच्च प्राधिकार सामान्य निकाय में निहित होगा, जिनमें निम्नांकित शामिल होंगे।

(क) साधारण सदस्य के रूप में प्रत्येक सदस्य संघ से निर्वाचित एक प्रतिनिधि।

(ख) फेडरेशन के समस्त नामित निदेशक, जिसमें निबन्धक अथवा उनका नामित व्यक्ति भी सम्मिलित होगा यदि राज्य सरकार सदस्य हो जो कि राज्य सरकार का प्रतिनिधि माना जायेगा।

(ग) उपरोक्त अनुच्छेद – 18 (क) में उल्लिखित प्रतिनिधि सदस्य संघ का अध्यक्ष होगा, जिसे कि नियम–407 से 432 अथवा 444 के अनुसार अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जैसी भी स्थिति हो और सदस्य संघ जिसका कि वह प्रतिनिधि है, के लिये नियमों और उपनियमों में निर्धारित किसी प्रकार की अपात्रता से ग्रस्त न हो।

(19) (क) वह व्यक्ति जो पहले से प्रतिनिधि है, इस रूप में कार्य कर सकेगा।

(1) वह उपनियम–31 में उल्लिखित किसी अपात्रता को रखता हो।

(2) उस समिति जिसका कि वह प्रतिनिधि है, सदस्य न रह गया हो।

(3) जिस समिति का वह सदस्य/प्रतिनिधि है, वह संघ का सदस्य न रह गया हो।

(4) वह समिति का सदस्य न रह गया हो जो, किसी दूसरे समिति का सदस्य था, जिसने उसे संघ में प्रतिनिधित्व हेतु अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना हो।

(5) उस कार्यालय को छोड़ दिया हो जिसके कारण, संघ के उपनियमों के अन्तर्गत वह प्रतिनिधि था।

(6) समिति जिसका वह प्रतिनिधि था अधिनियम की धारा–72 के अन्तर्गत निरस्त हो गयी हो।

(7) समिति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो किसी अन्य ''सहकारी'' समिति/समितियों में समाहित हो गयी हो।

(8) वह समिति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है दो या दो से अधिक समितियों में विभाजित हो गयी हो।

(9) उसने प्रतिनिधि के रूप में अपने कार्यालय से त्याग पत्र दे दिया हो।

सामान्य निकाय की बैठक : सामान्य निकाय की बैठक निम्न प्रकार से आयोजित की जायेगी :–

(अ) साधारण सामान्य बैठक : निदेशक परिषद फेडरेशन के कार्य सम्पादन के लिए जब आवश्यक हो। सामान्य निकाय की बैठक बुलायेगी।

(ब) साधारण सामान्य बैठक : निबंधक फेडरेशन अथवा संघ के सामान्य निकाय के कम से कम 1/5 सदस्यों के लिखित अधियाचन पर प्रबन्ध कमेटी एक माह के भीतर असाधारण सामान्य बैठक बुलायेगी। प्रबन्ध कमेठी के उपर्युक्त बैठक बुलाने पर फेडरेशन निबंधक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान, तिथि अथवा समय पर जिसका वह निर्देश दें, असाधारण बैठक बुलाने का अधिकार होगा। ऐसी बैठक को सभी अधिकार होंगे और उन्हीं नियमों के अधीन होगी जो कि उप विधियों के अनुसार बुलाई गई बैठक को हो किन्तु इस प्रकार बुलाई गई बैठक में केवल उन्हीं विषयों पर विचार होगा जिनका उल्लेख लिखित अधियाचन में किया गया हो।

(स) वार्षिक सामान्य बैठक :प्रत्येक वर्ष विवरणियों प्रस्तुत किये जाये और लेखों का परीक्षण हो जाने के पश्चात यथाशीघ्र किन्तु 31 दिसम्बर तथा नियम 90 के अधीन निबन्धक द्वारा बढ़ाई की अवधि के भीतर चाहे लेखा परीक्षण किया गया हो या नहीं, फेडरेशन निम्न प्रयोजनों के लिए अपनी वार्षिक सामान्य बैठक करेगा। प्रतिबन्ध यह है कि कांकरें आडिट की व्यवस्था होने पर सामान्य निकाय की बैठक 31 अगस्त के पहले हो जायेगी। अधिनियम की धारा 32 (2) के अधिकारों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए प्रबन्ध कमेटी वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि स्थान तथा समय निश्चित करेगी और बैठक के नोटिस के साथ ऐजेन्डा भी भेजेगी।

वार्षिक सामान्य बैठक निम्नांकित कार्यो का निर्वहन करेगी :–

(क) गत सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना।

(ख) प्रबन्ध समिति द्वारा आगामी वर्ष के लिये तैयार किये गये फेडरेशन के कार्यकलाप के कार्यक्रम का अनुमोदन।

(ग) उपविधि–33 के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन, यदि होना हो।

(घ) वर्ष के रोकड़ पत्र और वार्षिक प्रतिवेदन पर यदि लेखा परीक्षण पूरी हो गई हो–विचार।

(ङ) वर्ष के लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पर यदि लेखा परीक्षा पूर्ण हो गई हो तो नियम रीति से विचार।

(च) यदि पूर्व वार्षिक अधिवेशन में व उनके गत वर्ष के रोकड़ पत्र, वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षण प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा न होने के कारण विचार न हो सका–तो उन पर विचार।

(छ) नियमों में की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए आगामी वर्ष के लिये फेडरेशन का अधिकतम दायित्व निश्चित करना।

(ज) आगामी वर्ष के बजट पर विचार।

(झ) नई उपतिथियों को अपनाना या प्रचलित उपविधियों में संशोधन या विरक्त करना।

(ट) स्वीकृत बजट से अधिक खर्चो पर स्वीकृति प्रदान करना।

(ठ) अधिनियमों नियमों एवं उप नियमों के अनुसार शुद्धलाभ का निस्तारण।

(ड) उपनियमों के अनुसार परिषद द्वारा संस्तुत सदस्य के निष्कासन की पुष्टि करना।

(ढ़) उपनियमों प्राविधानों के अन्तर्गत अभिव्यक्त किसी अन्य मामले अथवा निदेशक समिति द्वारा संज्ञान में लाये गए या अधिनियम, नियम और इस उपनियमों के अनुसार अध्यक्ष की अनुमति से लायें गये बिन्दुओं पर विचार करना।

(ण) अध्यक्ष सहित समिति के समस्त सदस्यों पर किये गये व्यय की समीक्षा करना।

21. (क) वार्षिक बैठक के ये उक्त कार्य संचालन हेतु सामान्य निकाय की उपर्युक्त शक्तियों और कर्तव्यों के अतिरिक्त और अधिनियम, नियम और उपनियमों के अधीन निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे।

(ख) निदेशक परिषद के नियमों के विरूद्ध अपीलें, यदि कोई हो को सुनना।

(ग) नियमों एवं प्राविधानों के अनुसार निदेशकों के भ्रमण नियम सहित फेडरेशन के कार्य व्यापार के संचालन हेतु नियमावली बनाना।

(घ) उपनियमों में संशोधन करना।

(च) निबन्धक अथवा उनके अधीनस्थ की जॉच टिप्पणियों पर तथा निदेशक परिषद की रिपोर्ट पर विचार करना।

(छ) फेडरेशन द्वारा गृहित संघों हेतु प्रगतिशील क्रियाकलापों अन्य सहायताओं की प्रकृति एवं सीमा विचार एवं।

(ज) उपनियमों में संशोधन पर किसी सदस्य के निष्काशन व सामान्य निकाय की बैठक के अध्ययन की अनुमति से कोई विचार।

(झ) वार्षिक सामान्य निकाय द्वारा उक्त (क) (ख) (ग) एवं (ङ) के उल्लिखित अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रयोग कर सकते है।

22. सामान्य निकाय की बैठकों की कार्यसूची की नोटिस, जिसमें तिथि स्थान एवं समय का उल्लेख हो, निकाय जैसा कि नियम 2 की व्यवस्था के अधीन किया गया है, कम से कम 15 दिन पूर्व समस्त सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी, साथ ही उसकी प्रतिलिपि निबन्धक को यदि उसके द्वारा ऐसी अपेक्षा की गयी प्रतिबद्धता यह है कि कम से कम 45 दिन की नोटिस बैठक के लिये आवश्यक होगी जिसमें पदाधिकारियों का चुनाव होता है नोटिस जारी होने की तिथि को फेडरेशन के नोटिस पट्टिका पर कार्यक्रम सूची का एक प्रति लगायी जायेगी। आगे प्रतिबन्ध यह भी है कि वार्षिक सामान्य बैठक के मामले में नोटिस के साथ कार्यकलाप की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि आडिट प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो और तुलनपत्र लगायी जायेगी इस प्रकार के नोटिस किसी सदस्य को न प्राप्त होने पर सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवाही को अवैध नहीं घोषित करेगा।

23. (क) सामान्य निकाय के सदस्य को जो सामान्य बैठक में कोई प्रस्ताव रखना चाहता हो तो, इसकी लिखित विवरण 7 दिन पूर्व प्रबन्ध निदेशक को देना पड़ेगा।

(ख) निम्नांकित मामलों में पूर्व नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी :

(1) ऐजेन्डा के कार्यक्रम में परिवर्तन करने का प्रस्ताव।

(2) बैठक के स्थगन अथवा निरस्तीकरण का प्रस्ताव।

(3) ऐजेन्डा के अगले बिन्दु कार्यवाही करवाने का प्रस्ताव।

(4) बैठक की समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने अथवा मामले की जाँच हेतु समिति नियुक्ति करने का प्रस्ताव।

(5) किसी प्रश्न को वोट के लिये खोलने का प्रस्ताव।

(6) अत्यावश्यक होने के कारण बोर्ड द्वारा सामान्य निकाय को सन्दर्भित मामले हो हस्तगत करने का प्रस्ताव।

(7) उपस्थित सदस्यों के 2/3 के बहुमत में रखा गया प्रस्ताव।

24. प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा, किन्तु प्रतिनिधि को मत देने की इजाजत नहीं दी जायेगी।

25. सामान्य निकाय की बैठक का संचालन अध्यक्ष करेगा। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो उपस्थित में से अपने बीच किसी सदस्य को बैठक संचालन करने के लिए चुन सकते है। बराबरी के

मामलों में अध्यक्ष द्वितीय निर्णायक मत देगा। अध्यक्ष अथवा कोई व्यक्ति उस बैठक में भाग नहीं ले सकेगा, जिसमें उन मामलों पर विचार विमर्श होना हो जिसमें उसके हित निहित हों।

26. (1) सामान्य बैठक के लिए निर्धारित आधे घन्टे में यदि कोरम नहीं पूरा होता है, तो बैठक यदि वार्षिक सामान्य बैठक हो तो स्थगित किये जाने की तिथि से 16 वें दिन उसी समय और स्थान के लिए नियुक्ति कर दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि यदि बैठक सामान्य निकाय के सदस्यों की मांग पर बुलाई गई हो तो कोरम के अभाव में निर्धारित समय के एक घन्टे के लिये रोक दी जायेगी।

(2) उपवाक्य (1) के अन्तर्गत अच्छादित न होने वाले मामले में स्थगित बैठक ऐसी तिथि या समय में आयोजित होगी जैसा कि बोर्ड निर्धारित करें।

(3) जो मामला सिवाय मौखिक बैठक के अपूर्व छोड़े गये मामलों में स्थगित बैठक में नहीं उठाये जायेगें।

27. सामान्य बैठक में विचार किये गये तथा निर्गत सभी मामलों को कार्यवाही पुस्तिका में अभिलिखित किया जायेगा और कार्यवृत्ति पर बैठक का संचालन एवं फेडरेशन का प्रबन्ध निदेशक हस्ताक्षर करेगा।

28. (अ) प्रबन्ध समिति में निम्नांकित 15 निदेशक होंगे :

(1) सामान्य निकाय द्वारा चुने गए सदस्य – 7
(2) राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य – 1
(3) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एवं प्रतिनिधि – 1
(4) वित्तीय संस्था का प्रतिनिध – 1
(5) प्रबन्ध निदेशक प्रादेशिक कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लि0 – 1
(6) एक प्रतिनिधि महिला तथा निर्बल वर्ग का होना चाहिए।
(7) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मैदानी) तथा उत्तरांचल –1–1

(ब) प्रथम मनोनीत प्रबन्ध समिति : इन उपविधियों में किसी बात के रहते हुये भी फेडरेशन का प्रथम प्रबन्ध समिति प्रथम पांच वर्षो के लिए एवं एक–एक वर्ष की वार्षिक समयावधि के प्राविधान सहित अधिकतम आठ वर्ष के लिए राज्य सरकार व निबन्धक द्वारा मनोनीत किया जायेगा। सरकार/निबन्धक को यह अधिकार होगा कि वह नामित प्रबन्ध समिति की संख्या गणपूर्ति निर्धारित करें। इस नामित परिषद की अवधि समाप्त होने पर 28 (अ) के अनुसार प्रबन्ध समिति का गठन निबन्धक द्वारा किया जायेगा।

(स) नामित प्रबन्ध समिति के सदस्यों में हुये किसी भी आकस्मिक रिक्तता को राज्य सरकार निबन्धक की सहमति से भर सकती है।

प्रत्येक तीन वर्ष पर प्रबन्ध समिति चुने गए सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करेगी, जिसका कार्यकाल (3) तीन वर्ष का होगा। राज्य सरकार के नामित सदस्य सचिव जिसके प्रभार में उद्यान विभाग होगा।

29. (अ) 1. समिति के चुने गए सदस्यों का कार्यकाल चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि से तीन वर्ष का होगा। अध्यक्ष का भी कार्यकाल प्रबन्ध समिति के कार्यकाल तक होगी।

(2) नियम–435 अथवा अधिनियम की धारा–35 की उपधारा–3 के उपवाक्य–अ के अन्तर्गत स्थापित प्रबन्ध समिति के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा किये गये कार्य की अवधि को उपविधि के अन्तर्गत पात्रता के प्रयोजन से नहीं गणना नहीं की जायेगी।

(3) समिति की कार्यवाही इस आधार पर अवैध नहीं होगी कि परिषद में कोई रिक्तता है जिसे पूरा नहीं किया गया है।

(4) नामित निदेशक गण नामित करने वाले अधिकारी के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।

30. कोई भी व्यक्ति संघ की प्रबन्ध कमेटी में सदस्य के रूप में निर्वाचित तथा आमंत्रित किये जाने के लिए पात्र न होगा यदि –

(अ) उसकी आयु 21 वर्ष से कम है।
(ब) वह पागल, गूंगा, बहरा, कोढ़ी, अपाहिज, अन्धा न हो।
(स) उसे दिवालिया घोषित किया गया हो।

(द) उसे किसी अपराध में निहित पाया गया हो और ऐसे अपराध को अपील में निरस्त न किया गया हो, प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार की अपात्रता जुर्माना अदा करने अथवा सजा काटने के 5 वर्ष के उपरान्त क्षमा हो जायेगी।

(य) वह अथवा निबन्धक की राय में उसके परिवार का कोई सदस्य निबन्धक की अनुमति के बगैर फेडरेशन के कार्यक्षेत्रों में उसी प्रकार का व्यवसाय चला रहा हो, जैसा कि फेडरेशन चला रहा हो,

(र) वह फेडरेशन के कार्यालय अथवा किसी सदस्य समिति से लाभ अर्जित करता है।

(ल) वह फेडरेशन के उपनियमों अथवा अधिनियम के प्राविधानों के विरूद्ध लेन देन अथवा संविदा करता हो।

(व) वह फेडरेशन के सामान्य निकाय का सदस्य न हो प्रतिबन्ध यह है कि यह रोक समिति को नामित सदस्यों पर लागू नहीं होगी।

(क) यदि वह अधिनियम या नियम के अन्तर्गत किसी अपराध में लिप्त रहा हो तो जब तक कि अपराध होने की तिथि से 3 वर्ष न बीत जाये।

(ख) वह ऐसा व्यक्ति है जिसके विरूद्ध धारा–71 के अन्तर्गत किसी सहकारी समिति द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है और संस्तुति लम्बित है।

(ग) वह लिए गये ऋण के सम्बन्ध में फेडरेशन का दोषी है और यह दोष कम से कम छः माह की अवधि से निरन्तर बरकरार रहा है और यदि संगठन परिषद द्वारा नियमित न्यूनतम व्यवसाय न किया हो।

(घ) वह पहले से ही राज्य की किसी शीर्ष संस्था की तीन समितियों के प्रबन्ध परिषद का सदस्य हो।

(ङ) वह धोखाधड़ी करने के कारण निकाल दिया गया हो, यह सरकारी सेवा या सहकारी सेवा या निगम के निकाय में बेईमानी का आचरण किया हो, और बर्खास्तगी का आदेश अपील में खारिज न किया गया हो या उसे बहिष्कृत कर दिया गया हो प्रतिबन्ध यह है कि यह आपत्रता बर्खास्तगी आदेश की तिथि से 5 वर्ष के उपरान्त मान्य नहीं होगी।

(च) वह निबन्धक के आवेदन में शामिल हो अथवा ऐसी सहकारी समिति के प्रबन्ध समिति का सदस्य था, जिसे निबन्धक द्वारा धारा–2 की उपधारा (2) के अधिनियम (अ) के अन्तर्गत इस आधार पर की पूँजीकरण धोखे से कराया गया है, भंग कर दिया गया हो, और निबन्धक के ऐसा आदेश को अपील में उलट न गया हो।

(छ) उसने त्यागपत्र दे दिया जो और परिषद द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया हो।

(ज) वह अन्य प्रकार के अधिनिमय भी इसी उप–विधियों के प्राविधानों के अन्तर्गत अनर्ह हो गया हो।

(झ) व्यवसाय समाप्ति।

(ट) कर्तव्य पालन न कर पाया हो जैसा कि उपविधियों में उल्लिखित है।

(ठ) वह अंश या प्रतिज्ञा पत्र अदा करने में असफल रहा हो जैसा कि समिति परिषद द्वारा आह्वान किया गया हो।

(ड) यदि संघ जिसका कि वह प्रतिनिधि है, को आडिट के दौरान वर्ग ''सी'' या ''डी'' में रखा गया हो।

(ढ़) यदि फेडरेशन के किसी कर्मचारी का रिश्तेदार है।

(त) यदि वह संघ का प्रतिनिधि न रह जाय जिसका कि वह प्रतिनिधित्व करता है।

31. प्रबन्ध समिति की बैठक उतनी बार हो सकती है जितनी कि व्यवसाय लेन–देन के लिए आवश्यक हो, किन्तु माह में एक बार अवश्य बैठक होगी बैठक बुलाने के लिए प्रबन्ध निदेशक 10 दिन पूर्व सूचना भेजेंगे।

परिषद के कार्य संचालन के लिए कोरम ''7'' सदस्यों का होगा जिस में से कम से कम 3 सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि होंगे।

समिति की बैठक का आयोजन प्रबन्ध निदेशक द्वारा, अध्यक्ष के कहने पर या कम से कम पाँच निदेशकों की लिखित इच्छा पर या निबन्धक के आदेश पर किया जायेगा, का कोई भी सदस्य उस चर्चा में भाग नहीं लेगा। जिसमें उसका कोई व्यक्तिगत मामला निहित हो।

तत्कालिक महत्व के मामलों, जिनका कि परिषद की बैठक तक इन्तजार नहीं किया जा सकता, सभी सदस्यों में परिपत्र वितरित कर चर्चा करायी जा सकती है, और इस प्रकार अनुमोदित प्रस्ताव पर सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होगा, इसका वही प्रभाव होगा और उसी प्रकार बन्धनकारी होगा, जैसा कि प्रस्ताव परिषद की बैठक में पास किया गया हो। और इसे बैठक के कार्यवृत्त में शामिल किया जायेगा। तथा अगली बैठक में पढ़ा जायेगा।

32. समिति द्वारा किये गये समस्त कार्य या किसी व्यक्ति द्वारा परिषद के सदस्य के रूप में किये गये कार्य, ऐसा होते हुए भी यदि बाद में पता चले कि ऐसी परिषद के गठन या व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि हो गयी थी, वैध होगा यानी परिषद या सदस्य को नियम्मतः नियुक्ति किया गया हो।

33. फेडरेशन की नीतियों की निर्धारण की शक्ति प्रबन्ध समिति में निहित होगी प्रबन्ध समिति इस प्रकार की समस्त शक्तियों का इस्तेमाल करेगा, और ऐसे समस्त इकरारनामें करेगा, ऐसे समस्त प्रबन्ध करेगा, ऐसी समस्त कार्यवाहियाँ करेगा ऐसे समस्त कार्य करेगा, जैसा कि फेडरेशन को समुचित प्रबन्ध और उसके हितों की प्राप्ति में सहायक हो, जिसके लिये फेडरेशन स्थापित किया गया है, और अधिनियम के प्राविधानों अथवा ऐसे अधिनियम जो बाद में बनाये जायें व नियम जो राज्य सरकार द्वारा पारित किये जायें, के अनुपालन में तथा फेडरेशन की उपविधियाँ के अनुपालन के अन्तर्गत फेडरेशन के हितों की रक्षा के लिये तथा उसे बढ़ावा देने को आवश्यक हो। इन उप–विधियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के पूर्वाग्रह के बिना निम्नांकित शक्तियों तथा अधिकार दिये जाते है।

(क) पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना।
(ख) नये सदस्यों को प्रवेश देना।
(ग) आवंटन, आहरण, निवृत, नुकसान और अंश हस्तांतरण के आवेदन पत्रों का निस्तारण।
(घ) ऋण या ऋण पत्र लेना और जमा स्वीकार करने की शर्तों का निर्धारण करना।
(ङ) वार्षिक प्रतिवेदन, तुलनापत्र (बैलेन्स शीट) तथा अन्य विवरण पत्र जिसे निबन्धक द्वारा निर्धारित किया गया हो, वार्षिक बैठक के समय प्रस्तुत करना।
(च) वार्षिक सामान्य बैठक हेतु वार्षिक बजट की संस्तुति करना।
(छ) अधिनियम और नियम और उपविधियों के प्राविधानों और सेवा शर्तों जो कि विधि 35 के अन्तर्गत नहीं है, के अन्तर्गत फेडरेशन की स्टाफ संख्या का निर्धारण। निबन्धक के आदेशानुसार विशेषज्ञ पैनल तथा राज्य सरकार द्वारा बनाये गये केन्द्रीयतः कैडर प्राधिकरण के अलावा स्टाफ की भर्ती के लिए किसी समिति की संस्तुति करना।
(ज) फेडरेशन द्वारा धारित राज्य सम्पत्ति को पृष्ठांकित करना, बेचना या हस्तॉतरण करना।
(झ) फेडरेशन से सम्बन्धित अचल सम्पत्ति को बेचना।
(ट) उपविधियों के अधीन व्यवसाय संहिता तथा विनियमों का निर्माण।
(ठ) फेडरेशन के कर्मचारियों के लिए यात्रा–भत्ता तथा अन्य भत्तों के लिए नियम बनाना।
(ड) फेडरेशन के उपयोगार्थ भूमि, भवन, मशीन इत्यादि के क्रय की स्वीकृति या इन्हें किराये पर लेने की स्वीकृति देना।
(ढ) जहाँ तक इस व्यवसाय का सम्बन्ध है, फेडरेशन के सदस्यों के बीच से विपणन पत्रिका का वितरण करना।
(त) उपविधयों के अन्तर्गत अंश पूंजी बढ़ाना।
(थ) अधिनियमों, नियमों और उपविधियों के अधीन लाभांश की अदायगी तथा लाभ के निस्तारण का प्रस्ताव वार्षिक सामान्य बैठक के लिए तैयार करना।
(द) समय–समय पर जमा धनराशि पर ब्याज की दर का निर्धारण।
(ध) फेडरेशन की संविधिक जाँच सम्प्रेक्षण तथा जाँच रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही करना।
(न) फेडरेशन की तिथियों को ध्यान में रखते हुए सदस्य संघों की सहायता कर तथा उनके व्यवसाय को बढ़ाने हेतु परामर्श देना।
(प) सामान्यतः फेडरेशन की नीतियों तथा व्यवसाय की देखभाल करना।

(फ) प्रबन्ध समिति उन प्राविधानों के अधीन जिसे वह लाना चाहें समय–समय पर प्रबन्ध निदेशक की किसी शक्तियों तथा कर्तव्यों को यदि प्रबन्ध निदेशक चाहता हो, फेडरेशन के किसी अन्य उच्च अधिकारी को प्रतिनिधानित की जा सकती है लेकिन उपवाक्यांश संख्या क से च तक ट से ढ तक तथा घ हस्तांन्तरणीय नहीं है। परिषद के लिए निर्धारित कार्यो के निस्तारण हेतु कोई उप समिति नहीं होगी।

(ब) अन्य कार्य जो अधिनियम, नियम और उपनियमों तथा उपविधियों के अधीन उसे सौंपे जायें।

(भ) फेडरेशन की ओर से राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय सहकारी संस्थाओं से, साथ अन्य गैर सहकारी राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय संस्थाओं से सामग्री खरीदना।

(म) फेडरेशन के विभिन्न अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत आवश्यक अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन करना।

(य) फेडरेशन के कर्मचारियों तथा आश्रितों के कल्याण हेतु कोष और न्यास की स्थापना करना।

(र) अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के अनुसार सामान्य निकाय को किसी सदस्य की बर्खास्तगी की संस्तुति करना।

(ल) उत्पाद के निर्माण, विपणन, उपार्जन से सम्बन्धित सेवा भार तथा अन्य शर्तो की दर का निर्धारण।

(व) उत्पाद के तथा अन्य सहकारी (एलाइड) उत्पादों के दर निर्धारण नीति तय करना।

(स) संघ की चल अचल सम्पत्ति की नुकसान से सुरक्षा करना।

(ष) ट्रेडमार्क के उपयोग हेतु व्यय दर का अनुमोदन।

विशेषज्ञ पैनल : विशेषज्ञ पैनल में निम्नांकित सदस्य होंगे :–

(1) फेडरेशन का प्रबन्ध निदेशक – अध्यक्ष

(2) निबन्धक का प्रतिनिधि – सदस्य

(3) फेडरेशन का सामान्य प्रबन्धक (प्रशासक) – सदस्य सचिव

इस पैनल की संस्तुति के उपरान्त प्रबन्ध निदेशक स्टाफ की भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और पैनल उन पदों पर भर्ती के लिए उत्तरदायी होगा जो कि केन्द्रीय कैडर प्राधिकरण अधिनियम की धारा–122 (अ) के अन्तर्गत न आते हों।

34. (अ) **फेडरेशन की बैठक** – सामान्य निकाय तथा निदेशक परिषद का संचालन अध्यक्ष करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित निदेशकगण बैठक संचालन हेतु किसी को अध्यक्ष चुन सकते है।

(ब) बैठक में चाहे वह सामान्य निकाय, निदेशक परिषद की या अन्य कोई बैठक हो, प्रत्येक उपस्थित सदस्य का एक मत होगा। सभी मामले यदि अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न हो तो बहुमत से निर्णीत होंगे। मत की बराबरी की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा। सिवाय चुनाव तथा नियुक्ति के ऐसे मामले मतों के बराबर होने पर लाट्री से निर्णित होगें कोई भी व्यक्ति का अध्यक्ष उस बैठक का संचालन नहीं करेगा जिसमें उन मामलों पर चर्चा होनी हो जिसमें उसका हित निहित हो।

प्रबन्ध निदेशक :

35. (1) प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति जैसा अधिनियम में उल्लिखित है राज्य सरकार द्वारा की जायेगी वह प्रबन्ध समिति का पदेन सदस्य होगा।

(2) प्रबन्ध निदेशक फेडरेशन का मुख्य कार्यालय अधिशासी होगा और अधिनियम और उप विधियों के अधीन उसके निम्नांकित अधिकार होगे।

(अ) प्रशासन पर सामान्य नियंत्रण रखना और फेडरेशन के आचरण पर्यवेक्षण व्यवसाय प्रबन्ध और अन्य मामलों के लिए उत्तरदायी होगा।

(ब) निदेशक परिषद तथा सामान्य निकाय की बैठक का संयोजन।

(स) फेडरेशन की वार्षिक रिपोर्ट का आलेख तैयार करना।

(द) परिषद या सामान्य निकाय के निर्देशों, सीमाओं तथा बजट के अन्तर्गत स्वीकृति देना (1) कार्यकाल व्यय (2) व्यापारिक भण्डार पर व्यय (3) अन्य व्यय संघ की ओर से

प्रतिनिधि नोट और सरकारी एवं अन्य सिक्योरिटीज का पृष्ठांकन तथा हस्तांतरण एवं चेक का पृष्ठांकन और हस्तांतरण बैंक के साथ फेडरेशन का लेख संचालन।

(3) (अ) फेडरेशन के कर्मचारियों तथा अधिकारियों जो अपना वेतन फेडरेशन से लेते है, के अधिकारी कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्यों को निश्चित करना।

(ब) फेडरेशन के कर्मचारियों एवं अधिकारियों जो कि फेडरेशन से वेतन लेते हैं, का स्थानान्तरण।

(स) अधिकारियों के अलावा वेतनभोगी कर्मचारियों को नियुक्ति निलंबित, बर्खास्त, पदच्युत या दण्डित करना और उन्हें ऐसी सुरक्षा प्रदान करना जैसी की आवश्यक हो।

(4) (अ) धनराशि और सिक्योरिटी को प्राप्त करना आहरित करना वितरण करना एवं निवेश करना साथ ही फेडरेशन की ओर से जमा प्राप्त कर हस्ताक्षर करना।

(ब) संघ के व्यापारिक भंडार का कम से कम 3 माह में एक बार सत्यापन करना।

(5) (अ) जैसा अधिनियम, नियम या विनियमों द्वारा अथवा परिषद निर्धारित करें, ऐसी अन्य शक्तियों और कर्तव्यों को सम्पादित करना।

(ब) फेडरेशन के नियंत्रण में कार्यरत किसी अधिकारी को अपनी शक्तियों, अधिकारों और विवेकाधिकार को प्रति नियमित करना।

(6) प्राविधानों के अन्तर्गत श्रेणी तीन (3) के पद तीन माह के लिए सृजित करना, नियुक्ति अधिकारी की भर्ती करना। निर्धारित चयन समिति के माध्यम से।

(7) किसी मुकदमें की शुरूआत करना, बचाव करना या छोड़ना जो कि फेडरेशन के द्वारा या विरोध में हो अथवा फेडरेशन के किसी मामले से सम्बन्धित हो और किसी दावे से सन्तुष्ट होने पर अदायगी हेतु समय देना चाहे फेडरेशन के द्वारा हो अथवा उसके विरूद्ध या मामला पंचायत के सुपुर्द करना आदि।

(8) विनियमों के अधीन, यदि कोई हो, जो कि परिषद द्वारा निर्माण के वक्त रू. 05 लाख तक मूल्य की संविदा की स्वीकृति और विचार–विमर्श करना और उसके 2.5 लाख एवं ऐसे समस्त कार्य फेडरेशन के नाम से करना या फेडरेशन की ओर से करना।

(9) समिति के निर्देशों के अधीन यदि कोई हो, फेडरेशन के सदस्य संघों के कार्य पर्यवेक्षण करना और उन्हें तथा उनकी सदस्य समितियों का (7) में निर्धारित मामलों के निर्देश देना।

36. कार्यक्रम समिति :

(अ) निम्नांकित सदस्यों की एक कार्यक्रम की समिति होगी –

(1) संघ का प्रबन्ध निदेशक – अध्यक्ष

(2) मुख्य महाप्रबन्ध – सदस्य

(3) सम्बद्ध संघों के समस्त प्रबन्धक तथा महाप्रबन्धक

(4) फेडरेशन के मुख्यालय पर गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य देखने वाला अधिकारी

(5) महाप्रबन्धक, प्रबन्ध सेवा प्रभाग (मु0)

(ब) कार्यक्रम समिति निम्नांकित कार्य देखेगी :

(1) समयबद्ध उपलब्धि एवं विपणन नीतियां

(2) प्रबन्ध के समस्त पहलुओं पर सदस्य संगठनों को परामर्श देना तथा सहायता करना।

(3) आगामी वर्ष हेतु उत्पादन कार्यक्रम तैयार करना और समय–समय पर समीक्षा करना।

(4) उपार्जित/निर्मित होने वाले सामानों का न्यूनतम स्तर और फेडरेशन के माध्यम से विपणन करना।

(5) उत्पादन, उपचार और पैकिंग व्यय की दर निर्धारित करना, अंशदान एवं व्यापारिक ट्रेड मार्क की रोयलटी की दर निर्धारित करना।

(6) कच्चे माल तथा उत्पादित सामान की कीमत निर्धारण करना।

(7) विपणन नीति।

(8) औद्यानिक उत्पाद फल, सब्जी इत्यादि के अतिरिक्त कच्चे माल तथा प्रक्रियात्मक पदार्थो को सुलभ कराना।

(9) सदस्यों की उत्पादकता बढ़ाने के उपाय खोजना तथा उन्हें लागू करना

(10) शोध एवं विकास के उपाय।
(11) विपणन की दृष्टि से उत्पादन योजना तैयार करना।
(12) सदस्यों को वित्तीय, तकनीकि, प्रशासनिक एवं अन्य आवश्यक सहायता देना तथा संयुक्त ठेके के एकरार नामों की संस्तुति करना।
(13) मूल्य निर्धारण, नीति, लोक सम्बन्ध और तत्सम्बन्धी मामलों पर सलाह देना।

कार्यक्रम समिति यदि आवश्यक समझे तो, किसी विशेष समस्या पर रिपोर्ट हेतु उपसमिति बना सकती है और आवश्यकतानुसार फेडरेशन के सदस्यों में से विशेषज्ञों को चुन सकती है।

37. **प्रारूप पत्र और रजिस्टर** : फेडरेशन समय–समय पर निबन्धक द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर तिथि अंकित करेगी। फेडरेशन के व्यवसायिक लेन–देन को अभिलिखित करने हेतु निम्नांकित लेखा पुस्तिकायें तथा रजिस्टर होंगे।

(अ) कार्यवाही पुस्तिका या पुस्तिकायें–सामान्य निकाय, निदेशक परिषद तथा अन्य समितियां या उपसमितियों की बैठक की कार्यवाही हेतु।
(ब) आवेदन पत्र रजिस्टर फेडरेशन की सदस्यता हेतु जिसमें आवेदक का नाम, पता, आवंटित शेयरों की सं0 तथा इन्कार की दशा में निर्णय सूचित करने की तिथि।
(स) सदस्यों का रजिस्टर जिसमें उनका नाम, पता, प्रवेश तिथि लिये गये शेयर की संख्या अदा की गई धनराशि, सदस्यता समाप्ति के कारण तथा तिथि होगी।
(द) प्रतिनिधियों का रजिस्टर
(य) रसीद पुस्तिका
(र) फेडरेशन में प्रत्येक सदस्य का बही खाता।
(ल) रोकड़ बही जिसमें दैनिक प्रगति तथा व्यय एवं प्रतिदिन का बकाया दर्ज किया जायेगा।
(व) बाउचर फाइल जिसमें फेडरेशन द्वारा व्यय के समस्त बाउचर रखे जायेंगे।
(श) एक सामान्य बही खाता जिसमें दैनिक प्राप्ति व्यय तथा बकाया शीर्ष वार अंकित किया जायेगा।
(ष) लाभांश तथा बोनस रजिस्टर।
(स) अधिकारियों एवं कर्मचारियों व नियुक्ति प्रतिनिधियों का रजिस्टर।
(ह) ऐसे ही अन्य रजिस्टर और पुस्तिकायें जिन्हें परिषद का प्रबन्ध निदेशक या निबन्धक समान रूप से निर्धारित करें।

38. **लाभ का वितरण** :

(अ) वार्षिक शुद्ध लाभ से फेडरेशन द्वारा :–
(1) न्यूनतम 25 प्रतिशत रिजर्व फन्ड सुरक्षित कोष के रूप में रखा जायेगा।
(2) सहकारी शिक्षा विधि में नियमों के अन्तर्गत रखा जायेगा –
प्रतिबन्ध यह है कि जब सहकारी शिक्षा कोष की राशि रू0 2500/– से किसी वर्ष बढ़ जाय तो फेडरेशन स्वेच्छा से चाहे तो बढ़ी हुई राशि को लगायें या न लगायें क्योंकि यह 2500/– से ज्यादा है।
(ब) शेष धनराशि का वितरण निम्नवत होगा :–
(1) सदस्यों को उनके द्वारा लिये गये अंशों पर लाभों का भुगतान जो कि 2% से अधिक नहीं होगा।
(2) सदस्यों को फेडरेशन के साथ किये गये व्यवसाय के अनुपात में बोनस, अधिक सीमा तक यदि अधिनियम उपविधि द्वारा निर्धारित हो।
(3) जैसा कि सामान्य निकाय द्वारा निर्धारित किया जाय, फेडरेशन द्वारा बेड डेट्स कोष, राष्ट्रीय रक्षा कोष, बिल्डिंग कोष, प्रगति कोष सहित फंड, अंश हस्तॉतरण कोष, दर बदलाव फंड इत्यादि में योगदान करना या कोष की स्थापना करना।
(4) कर्मचारियों को बोनस भुगतान इत्यादि।
(5) शेष धनराशि को अगले वर्ष के लाभ में ले जाना।

39. कोष का उपयोग लाभ अधिनियम एवं नियमों के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

40. (1) फेडरेशन के संविलिनि होने की दशा में फेडरेशन से सम्बन्धित संरक्षित एवं अन्य कोषों का उपयोग अदा की गयी अंशी पूँजी के भुगतान करने के बजाय पहले फेडरेशन की देन दारियों निस्तारण की जायेगी। जो कि नियम सं0 271 की उपनियम–1 में निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार होगा उसके बाद यदि किसी अवधि के लिये लाभांश छुपाया गया है तो लाभांश का भुगतान ऐसे अवधि के लिए कि 9% से अनाधिक की दर से किया जायेगा।

(2) उक्त वाक्यांश (1) में उल्लिखित भुगतानों के अलावा कोई अवशेष रह जाता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा कोष अथवा सार्वजनिक उपयोग के उद्देश्यों में नियोजित किया जायेगा जैसा भी निदेशक परिषद द्वारा चुना जाय और निबन्धक द्वारा अनुमोदित किया जाय। यदि निदेशक निबन्धक द्वारा निर्धारित समय के भीतर परिषद ऐसे लक्ष्य का चुनाव नहीं कर पाती जो कि निबन्धक द्वारा अनुमोदित की गयी होती, निबन्धक उस अतिरिक्त कोष को राष्ट्रीय सुरक्षा कोष अथवा सहकारी शिक्षा कोष में लगा सकता है।

विवाद :–

41. फेडरेशन के व्यवसाय से सम्बन्धित विभिन्न पार्टियों के बीच के समस्त वाद अधिनियम की धारा 70 के अनुसार पंचायत द्वारा सुलझाये जायेंगे।

संशोधन :–

42. (अ) फेडरेशन की उपविधियों में समस्त संशोधन सामान्य बैठक में उपस्थित सदस्य के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किये गये प्रस्ताव से किया जायेगा प्रतिबन्ध यह है कि आदर्श उपविधियों का संशोधन जो निबन्धक द्वारा पहले भी अनुमोदित किया गया हो अथवा निबन्धक द्वारा धारा–14 (1) के अन्तर्गत किया माना है तो उसे केवल साधारण बहुमत से लागू किया जा सकता है।

(ब) उपविधि में संशोधन का विचार–विमर्श करने के लिए सामान्य बैठक हेतु 30 दिन की नोटिस और साथ में प्रस्तावित संशोधन की प्रति सभी सदस्यों को दी जायेगी प्रतिबन्ध यह है कि जब धारा 14 (1) के अन्तर्गत निबन्धक से आदेश प्राप्त हुआ हो तो बैठक के लिए 15 दिन की नोटिस पर्याप्त होगी आगे प्रतिबन्ध यह भी है कि जब निबन्धक की अनुमति इन उपविधियों के वाक्यांश–स के दूसरे प्राविधान के अन्तर्गत कोरम घटा दिया गया हो तो एक सप्ताह की नोटिस पर्याप्त होगी।

(स) ऐसी बैठक के लिए सामान्य निकाय के सदस्यों के 50% से अधिक सदस्यों के कोरम की आवश्यकता होगी। प्रतिबन्ध यह है कि यदि मीटिंग में वांछित कोरम नहीं पूरा होता है तो निबन्धक फेडरेशन को निर्देश दे सकते है, कि वह दूसरी बैठक बुलाये जिसमें वह कोरम को घटाकर एक तिहाई कर दिया जायेगा, और इस तथ्य की सूचना समस्त सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी आगे प्रतिबन्ध यह भी है कि आदर्श उपविधियों को लागू करने के मामले में अथवा ऐसे संशोधन जिसे निबन्धक के पहले ही अनुमोदित कर दिया हो अथवा निबन्धक द्वारा धारा 4(1) के अन्तर्गत संघ द्वारा की जानी हो तो निबन्धक की अनुमति से आवश्यक कोरम को घटाकर 1/5 किया जा सकता है वास्तविकता यह है कि पुनः घटाये 1/5 कोरम के साथ होने वाली बैठक का उद्देश्य ऐसी बैठक के ऐजेन्डा की नोटिस में उल्लेख किया जायेगा।

(द) उपविधियों में किया गया संशोधन तब तक लागू नहीं होगा जब तक अधिनियम और प्राविधानों के अन्तर्गत निबन्धक द्वारा इसे नियमित रूप से पंजीकृत न कर दिया जाय।

चुनाव :–

43. सहकारी समितियों में चुनाव से सम्बन्धित नियमों के अनुसार फेडरेशन चुनाव करायेगा।

मिश्रित :–

44. (अ) सम्बद्ध सदस्यों की समितियों और संघ के बीच विवाद के मामले में फेडरेशन अधिनियम और नियमों, प्राविधानों के अधीन कार्यवाही करेंगे।

(ब) फेडरेशन के परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा राज्य की शीर्ष स्तरीय सहकारी समिति अथवा राष्ट्रीय सहकारी समिति का सदस्य हो सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी

सदस्यता फेडरेशन के हित में हो और अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों से उसकी पुष्टि भी होती है।

45. चुने हुए अध्यक्ष को हटाने के लिये अविश्वास का प्रस्ताव नियमों के प्राविधानों से नियमित होगा।

46. (अ) नियम–65 में कथित एक या अधिक कागजातों की प्रमाणित प्रतियाँ उसी तरीके से और शुल्क के भुगतान पर निर्गत की जा सकती है जैसा अधिनियम अथवा नियम अथवा उपविधियों के समय–समय पर कहा गया।

(ब) फेडरेशन का कोई सदस्य अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यालय अवधि के दौरान किसी समय फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक को प्रार्थना पत्र देकर रू0 5/– शुल्क का भुगतान कर लेखा की जांच तथा संघ के अभिलेखों की जांच कर सकता है, केवल तभी जब वे सदस्य और फेडरेशन के साथ लेन देन से सम्बन्धित हो।

47. फेडरेशन के पास एक मुहर होगी जिसमें फेडरेशन का नाम और चिन्ह्न या कोई हो अंकित होगा जैसा कि परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाय। यह मोहर प्रबन्ध निदेशक के अधिकार में होगी और परिषद के प्रस्ताव के प्राधिकार से उसका उपयोग किया जायेगा। केवल परिषद के प्राधिकार के अन्तर्गत किसी कागज या उपकरण पर जहां इनकी आवश्यकता हो परिषद के दो सदस्यों और प्रबन्ध निदेशक अथवा प्रबन्ध निदेशक स्थान पर परिषद द्वारा नियुक्त किये व्यक्ति की उपस्थित में लगायी जायेगी।

48. विविध :–

इन उपविधियों की व्याख्या के लिए फेडरेशन मामले को निबन्धक को सन्दर्भित करेगा जिसका निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा।